कार्यालय नगर पालिक निगम , भिलाई चरोदा

क्र/ /निविदा/लोनिवि/2016 भिलाई चरोदा , दिनांक :–

रूचि की अभिव्यक्ति

नगर निगम भिलाई–चरौदा क्षेत्रान्तर्गत जी. ई. रोड़ में 01 स्थल पर ट्रेफिक सिग्नल व 02 स्थलों पर ब्लींकर/स्थापना/संधारण स्वयं के व्यय से विज्ञापन आधार पर कराया जाना है । अतएव समान प्रकृति के कार्य संपादन के अनुभवी व्यक्ति/एजेंसी अपनी रूचि की अभिव्यक्ति दिनांक 12.07.2016 को सांय 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट से सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है ।

शर्ते :–

1. अनुभवी एजेंसी आवेदन पत्र के साथ संस्था का रजिस्ट्रेशन, अनुभव प्रमाण पत्र, तीन वर्ष का आयकर विवरण, वाणिज्यक प्रमाण पत्र के साथ 300.00 नगद जमा कर कार्यालीन समय में दिनांक 30 जून 2016 को सायंकाल 5.30 बजे तक नियम व शर्ते एवं दर ऑफर की प्रति प्राप्त कर सकते है ।
2. विज्ञापन एजेंसी को ट्रेफिक सिग्नल का स्थापना संचालन व संधारण के कार्यो में जो कम से कम 05 शहरों में इस प्रकृति के कार्यो का अनुभव ।
3. विगत तीन वित्तीय वर्षो में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 3.00 करोड का टर्नओवर हो।
4. धरोहर राशि 25000.00 का एफ.डी.आर. एवं कार्यालय से प्राप्त आवेदन पत्र एवं नियम शर्त कार्यालय से प्राप्त किये जाने पर राशि 3000.00 आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा ।
5. नियम एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी नगर निगम भिलाई–चरौदा के वेब साइड www.nagarnigambhilaicharoda.com से देखी एवं डाउनलोड की जा सकती है ।
6. निकाय के वेब साईड से निविदा प्रपत्र डाउनलोड किये जाने पर एफ.डी.आर. एवं निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 3000.00 का डिमांड ड्राट प्रस्तुत करना होगा ।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम भिलाई चरोदा

अपने घर, आसपास तथा शहर को स्वच्छ रखें

2 Col. x 7 c.m.

// कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई चरौदा,जिला–दुर्ग(छ.ग.)//

कार्य का नाम :– ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना,उन्नतिकरण एवं रखरखाव

क.	कार्य का विवरण	दर	
		In Fig	In word
1	नगर निगम क्षेत्रांतर्गत जी.ई. रोड में विज्ञापन आधार पर निम्नाकिंत कार्य 1. ट्रैफिक सिग्नल (सिरसाचौक) – 1 नग 2. ट्रैफिक बिलकंर – 3 नग		

ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना,उन्नतिकरण एवं रखरखाव हेतु नियम व शर्ते।

1. यह कार्य वृहद स्तर पर है इसलिये ऐसी ही एजेंसी इस कार्य का प्रस्ताव दे सकती है, जो कम से कम 05 शहरो में इस प्रकृति के कार्य का अनुभव रखती हो तथा जिसका वार्षिक टर्न ओवर कम से कम 03 करोड़ का हो। जिसका सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
2. एजेन्सी के द्वारा नगर पालिक निगम की विज्ञापन नीति एवं शर्ते के अनुसार विज्ञापन का प्रदर्शन किया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल पर विज्ञापन का प्रदर्शन इस प्रकार सुनिश्चित किया जावेगा कि वह किसी प्रकार से अश्लील स्लोगन नही हो एवं न ही किसी राजनीतिक दल का विज्ञापन प्रदर्शित करता है।
3. एजेन्सी के द्वारा केन्टीलीवर ट्रैफिक पोल पर विज्ञापन बोर्ड सड़क से लगभग 7 मीटर से अधिक की उॅचाई पर स्थापित किया जाएगा ताकि यातायात में किसी प्रकार से व्यवधान न हो।
4. द्वितीय पक्षकार के द्वारा सभी विज्ञापन बोर्ड/पटल सुरक्षित मापदण्ड के अनुरूप ही लगाये जयें एवं उपरोक्त के किसी भी प्रकार से गिरने इत्यादि की स्थिती में दुर्घटना का उत्तरदायित्व एजेन्सी का ही होगा। एजेन्सी द्वारा ट्रैफिक सिंगनल लगाये जाने हेतु अनुषांगिक विभाग से आवश्यकतानुसार अनुमति ली जावेगी।
5. द्वितीय पक्षकार के द्वारा उक्त संबंधी यातायात पुलिस एवं अन्य विभागों के निर्धारित सुरक्षा एवं अन्य नियमों का पालन पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा अनुमति/आपत्ति दिये जाने पर सम्पूर्ण जानकारी एजेन्सी की होगी।
6. विज्ञापन बोर्ड/पटल के विद्युत खपत एवं संधारण इत्यादि पर होने वाला व्यय द्वितीय पक्षकार के द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
7. छ.ग. भूमि विकास नियम में सकेत तथा बाहरी प्रदर्शन संरचना का पूर्णतःपालन द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जाएगा।
8. एजेन्सी के द्वारा उक्त कार्य के संबंध में कोई भी दावा या वाद आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को स्वीकार नही होगा। न्यायालयीन वाद की स्थिती वाद का क्षेत्र दुर्ग होगा।

9. एजेन्सी के द्वारा निर्धारित शर्तो का पालन नही किए जाने की स्थिति में विज्ञापन संबंधित दी गई विज्ञापन अधिकार (एन.ओ.सी.) निरस्त करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा सुरक्षित रहेगा।

10 .ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना उपरांत उक्त ट्रैफिक सिग्लन के संधारण एवं रखरखाव का कार्य निरंतर 7 वर्षो तक द्वितीय पक्षकार के द्वारा स्वयं के व्यय पर किया जाएगा। इसके साथ ही उक्त कार्य पर आने वाले विद्युत खपत संबधी व्यय का भुगतान भी द्वितीय पक्षकार के द्वारा स्वयं की किया जावेगा।

11 . यदि भविष्य में किसी विकास कार्य सुरक्षा सौन्दर्यीकरण योजना इत्यादि के कारण टैफिक सिग्नल/सिस्टम को हटाया जाना आवश्यक हो तो द्वितीय पक्षकार स्वयं के व्यय पर पुर्नस्थापना का कार्य कराएगा।

12. टैफिक सिग्नल इत्यादि की देखरेख द्वितीय पक्षकार के द्वारा निरंतर की जायेगी। तथा टैफिक सिग्नल बंद होने की स्थिति में 24 घण्टे के अंदर यथाशीघ्र संधारण कार्य उपरांत चालू कराया जायेगा।

13. एजेन्सी के द्वारा यातायात टैफिक सिग्नल के स्थापना के कार्य हेतु समयावधि का पालन कड़ाई से करना होगा।

14. यदि किसी कारण वश द्वितीय पक्षकार के द्वारा सुचारू रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नही किया जाता है, तो आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को यह मत अधिकार होगा कि वह किया गया अनुबंध पत्र निरस्त कर सकते है। इससे द्वितीय पक्षकार को कोई आपत्ति नही होगी।

15. एजेन्सी के द्वारा लगाए जाने वाले सिग्नल अत्याधुनिक पद्धति पर आधारित होने चाहिए। वी.आई.पी. मूवमेंट की स्थिति में रिमोट/लोकल आपरेशन की सुविधा होनी चाहिए।

16. सिग्नल लगाये जाने के लिए समस्त करों का भुगतान द्वितीय पक्षकार के द्वारा किया जायेगा। सड़क खोदने की अनुमति नही दी जायेगी। सड़क खोदने की स्थिति में समस्त शुल्क नगर पालिका/लोक निर्माण विभाग, अन्य अनुषांगिक विभागो को देय होगा।

17. सिग्नल लगाने के पूर्व स्थल के अुनसार ड्राईंग/डिजाईन अनुमोद कराना अनिवार्य होगा।

18. अनुबंध के 03 माह के भीतर सिग्नल स्थापना कर कार्य सम्पन्न किया जाना आवश्यक है, अन्यथा अनुबंध निरस्त कर अन्य फार्म को कार्य दिया जायेगा।

19. यदि 24 घण्टे से अधिक समय तक सिग्नल बंद रहेगा तो प्रति घण्टे राशि रू. 500.00के दर से पेनाल्टी लगाया जायेगा। जिसे एजेन्सी को सात कार्य दिवस के भीतर जमा कराना होगा। अन्यथा अनुबंध निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

20. अनुबंध 07 वर्ष के लिए किया जायेगा। तथा अनुबंध व कार्यादेश के दस दिवस के भीतर प्रथम वर्ष का 50 प्रतिशत राशि निविदा में उल्लेखित दर से निकाय में जमा कराना होगा। उसकी रसीद कार्यपालन अभियंता से प्रमाणित कराकर जमा कराना होगा। तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 06 माह पश्चात जमा की जानी होगी। ऐसा 07 वर्षो तक नियमित रूप से जमा किया जाना होगा। अन्यथा बैंक गारंटी जप्त कर अनुबंध समाप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

21. राशि रू. 50,000.00 के बैंक गारंटी कार्यादेश की जारी किये जाने के दस दिवस के भीतर जमा की जानी होगी।

22. निविदा के साथ राशि रू. 25,000.00 ई.एम.डी.एफ.डी.आर. के रूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के पक्ष में निर्धारित तिथि में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

22. आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा से अनुमोदित ड्राईगं/डिजाईन के अनुसार सिग्नल लगाने का कार्य किया जाना होगा।

23. निविदा में दी गई राशि प्रतिवर्ष की दर से नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा को देय होगा।

24. पूर्व में समान प्रकार के कार्य का अनुभव होना चाहिए।

25. किसी भी तिराहे/चौराहे में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में निविदा आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त की जा सकेगी व इस स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

26. अनुबंध की आवधि प्रारंभिक रूप से 07 वर्ष की होगी तथा इसे अगले 07 वर्षो के लिए पुनः नवीनीकरण(पुनः अनुज्ञापित) किया जा सकेगा। इस संबंध में आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। अगर अनुबंध पुनः नवीनीकृत नही किया जाता है, तो संबंधित फर्म/एजेंसी को अपना सिग्नल सिस्टम उस चौराहे/तिराहे से स्वयं के व्यय पर हटाना होगा। अन्यथा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के द्वारा उस सिग्नल सिस्टम को हटा दिया जाएगा। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित एजेंसी/फर्म की होगी।

27. चौक–चौराहों पर सिग्नल की स्थापना संलग्न मानचित्र के अनुसार कराया जाना है। (माप आधरित) स्थल पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा के द्वारा माप में कमी/अधिक किया जा सकता है।

28. उक्त कार्य के स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई–चरौदा का होगा।

29. एजेंसी के द्वारा यातायात ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना के कार्य हेतु समयावधि का पालन कड़ाई से करना होगा। यदि किसी कारण ऐजेंसी द्वारा सूचारू रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वाह नही किया जाता है तो आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा को यह अधिकार होगा कि वह किये गये अनुबंध पत्र निरस्त कर सकते है। इससे एजेंसी को कोई आपत्ति नही होगा।

30. एजेंसी के द्वारा लगाए जाने वाले सिग्नल अत्याधुनिक पद्धति पर आधिरित होने चाहिए। वही आई.पी.मूवमेंट की स्थिति में रिमोट/ लोकल ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।

31. सिग्नल लगाये जाने के लिए समस्त करो का भुगतान एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। सड़क खोदने की अनुमति नही दी जाएगी। सड़क खोदने की स्थिति में नियमानुसार समस्त शुल्क नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा को देय होगा।

32. अनुबंध के तीन माह के भीतर सिग्नल स्थापना का कार्य सम्पन्न किया जाना आवश्यक है। अन्यथा अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।

33. अनुबंध 07 वर्ष के लिए किया जावेगा तथा अनुबंध व कार्यादेश के 10 दिवस के भीतर प्रथम वर्ष का 50 प्रतिशत राशि आफर में उल्लेखित दर से निगम में जमा करना होगा उसकी रसीद की प्रमाणित प्रति जमा करना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत राशि 6 माह पश्चात जमा की जानी होगी। ऐसी 7 वर्षो तक नियमित रूप से जमा किया जाना होगा अन्यथा बैंक गारंटी जप्त कर अनुबंध समाप्त करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

34. किसी तिराहे/चौराहे में किसी भी प्रकार के विवाद या आपत्ति की स्थिति में आफर आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त की जा सकेगी व इस स्थिति में आयुक्त का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

35 विज्ञापन बोर्ड के कारण होने वाले प्राकृतिक एवं आकस्मिक तथा अन्य किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं हेतु विज्ञापन एजेंसी जवाब देय होगीं। इसमें होने वाली जनधन की हानि क्षति पूर्ति विज्ञापन एंजेसी द्वारा वहन की जावेगी तथा विज्ञापन एंजेसी को इस आशय का शपथ पत्र निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबंध के पूर्व देना होगा।

36 स्वच्छता, सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था एवं जनहित में अथवा किसी प्रकार के न्यूसेन्स एवं किसी विवाद की स्थिति में किसी भी ट्रेफिक सिंनल को बिना कारण बताये 48 घंटे की सूचना दे कर आयुक्त नगर निगम भिलाई द्वारा हटवाया जा सकेगा एवं हटाये जाने का व्यय अथवा इस पर होने वाली किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति हेतु संबंधित विज्ञापन एजेंसी जवाबदेय होगी।

37 ऐजेसी को शासन/नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा की विधि एवं उपविधि, निर्णय तथा समय–समय दियं गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

38 सम्पूर्ण नगर निगम सीमा अंतर्गत कोई भी नये प्रकार के विज्ञापन के लिएये समस्त अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम भिलाई–चरौदा के पास सुरक्षित रहेगा एवं इस संबंध में कोई भी निविदाकार अथवा अन्य विज्ञापन एजेंसी की किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।

39. ट्रैफिक सिग्नल लगाते समय निकालते समय एवं मरम्मत करते समय निगम की सम्पति को किसी प्रकार का नुकसान नही होना चाहिए। इसकी सुरक्षा की समस्त जवाबदारी विज्ञापन एंजेसी की होगी एवं संबंधित से क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जावेगी।

40. ट्रैफिक सिग्नल व उसकी संरचना तथा उस पर विज्ञापित, प्रदर्शित सामाग्री से किसी व्यक्ति संस्था की संपत्ति, यातायात व सड़क के आवागमन में किसी प्रकार की कोई बाधा अवरोध दृष्टिबाधा तथा उससे कियी प्रकार के चमकीला परावर्तन नही होना चाहिए।

41. ट्रैफिक सिग्नल में किसी भी प्रकार की इलेक्टिोनिक स्क्रीन वाली चलायेमान तत्व तथा शोर उत्पन्न करने वाली सामाग्री प्रदर्शित नही की जावेगी।

42. ट्रैफिक सिग्नल में प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी सवैधानिक संस्थाएं, केन्द्र, सरकार, राज्य शासन इसके अधिन समस्त शासकीय उपक्रमों, शासकीय संस्थाओं तथा उनके समस्त पदाधिकारियों के विरूद्ध किसी भी प्रकार का विज्ञापन, फोटो, रेखाचित्र, कार्टून, वाक्य शब्द इत्यादि आपत्तिजनक या अपमानित करने वाला प्रदर्शन नही किया जावेगा।

43. ट्रैफिक सिग्नल में किसी भी प्रकार के नशे की सामाग्री या उसके उपयोग को बढ़ावा देने से संबंधित विज्ञापन इत्यादि का प्रदर्शन नही किया जावेगा।

44. ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना से उसके लगे रहने की सम्पूर्ण अवधि तक किसी भी जानमाल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि/क्षति के लिये एजेंसी स्वयं जिम्मेदारी होगी किसी भी नुकसान हानि क्षति की संम्पूर्ण भरपाई ऐजेंसी द्वारा ही की जावेगी।

45. ट्रैफिक सिग्नल में यदि प्रकाश यवस्था किया जाना हो तो ऐसी स्थिति छ.ग. विद्युत मंडल के निर्धारित सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु नगर निगम द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जाएगा।

46. एजेंसी को केन्द्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकायों तथा नगर पालिक निगम के लागू व प्रचलित तथा समय–समय पर लागू की जाने वाले नियमों, अधिनियमों, आदेश, निर्णय, संकल्पो का पालन करना होगा तथा भविष्य में लागू/अधिरोपित किये जाने वाले शुल्क सरचार्ज इत्यादि का भुगतान अनिवार्य रूप से करना होगा।

ऑफर प्रदायकर्त्ता का हस्ताक्षर

(सील)

(सौम्या चौरसिया)
आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई–चरौदा